UPMZ010080472026

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Court No-1, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Smt. Garima Singh–I), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06224

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3343 सन् 2026

अंकुर पंवार पुत्र शिवकुमार,
निवासी ग्राम पिन्ना, थाना कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फरनगर
हाल निवासी ग्राम सलेमपुर उर्फ सलेमपुर,
थाना कांधला, जिला शामली।

.....आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–273 सन् 2026
धारा–191(2), 191(3), 190, 352,
351(3), 109(1), 3(5) बी0एन0एस0
थाना–कोतवाली, जिला–मुजफ्फरनगर।

दिनांकः–14.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **अंकुर पंवार पुत्र शिवकुमार** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मु0अ0सं0–273/2026, धारा–191(2), 191(3), 190, 352, 351(3), 109(1), 3(5) बी0एन0एस0, थाना–कोतवाली, जिला मुजफ्फरनगर के मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थना पत्र, प्रार्थी/अभियुक्त की पैरोकार श्रीमती पूजा पत्नी अंकुर के शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में वादी मुकदमा आदित्य पंवार द्वारा संबंधित थाने पर दी गयी तहरीर के अनुसार कथानक इस प्रकार है कि उसकी जमीन बुढाना मोड़ खान्जापुर में स्थित है। वादी की जमीन का सौदा नरेन्द्र पुत्र टीकाराम से हुआ था जिसका रजिस्ट्री का समय निकल चुका था, जिससे वादी ने उक्त प्रोपर्टी डीलर से सम्पर्क किया तो उसके द्वारा न तो वादी को पूरा भुगतान किया गया तथा उक्त प्रोपर्टी

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.07.14 16:58:18 IST
Reason: SESSION BAIL
Location: ADJ COURT NO. 1, MZN

डीलर नरेन्द्र व वादी के भाई नरेन्द्र पुत्र जयचन्द निवासी खान्जापुर, राजीव पुत्र अज्ञात निवासी दौलतपुर थाना मन्सूरपुर व राजीव का लड़का नाम अज्ञात द्वारा वादी व उसके लड़कों को पूर्व में भी जान से मारने की धमकी दी जा चुकी थी। घटना दिनांक 13.06.2026 की रात्रि करीब 10रू30 बजे की है, जब एक गाड़ी में उक्त नरेन्द्र पुत्र टीकाराम, राजीव का लड़का, राजीव निवासी दौलतपुर तथा दो–तीन अज्ञात व्यक्ति आये और जान से मारने की धमकी देते हुए गाली–गलौज करने लगे। वादी द्वारा अपने दरवाजे का गेट खोलने पर उक्त व्यक्तियों ने जान से मारने की नियत से सीधी फायरिंग कर दी, जिससे वादी ने तत्काल गेट बन्द कर दिया। वादी की पुत्री मिस्टी उम्र लगभग 4 वर्ष के पैर में छर्रे लग गये, जिससे वह घायल हो गयी। इस प्रकार वादी बाल–बाल बच गया। जाते समय उक्त व्यक्तियों द्वारा यह धमकी भी दी गयी कि या तो जमीन उन्हें दे दी जाये अन्यथा अगली बार घर में घुसकर हत्या कर दी जायेगी। उक्त घटना से वादी व उसका परिवार अत्यधिक भयभीत एवं सदमे में है। वादी के पास घटना की वीडियो उपलब्ध है। तहरीर में अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथनह किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बेगुनाह एवं निर्दोष है। उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जैसा एफ.आई०आर० में वर्णित एवं कथित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त सीधा सादा गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है। उसे मुकदमा में झूठी घटना दिखाकर मुकदमा में बिल्कुल गलत फसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास भी नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफता है। आवेदक/अभियुक्त ने वादी मुकदमा एवं उसके लडको के साथ जान से मारने की नियत से कोई मारपीट नहीं की है और न ही कोई फायर आर्म्स की चोट पहुँचाई है। आवेदक/अभियुक्त जेल में रहकर अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। इसलिए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

4. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क रखा गया कि, आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उसकी घटना कारित करने में सक्रिय भूमिका है। जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का घटना से कोई सरोकार नहीं है तथा उसे मात्र संदेह एवं रंजिश के आधार पर इस प्रकरण में फँसाया गया है। अभियोजन की कहानी प्रथमदृष्टया संदिग्ध है तथा आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध कोई स्वतंत्र एवं ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

7. प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने, गाली–गलौज करने, वादी के घर पर आकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने, जिससे वादी की पुत्री मिस्टी के पैर में छर्रे लगकर चोटिल होने तथा भूमि विवाद के संबंध में भय एवं आतंक उत्पन्न करने का आरोप है। चुटैल की चिकित्सीय आख्यानुसार उसे कुल 03 चोटें आने का उल्लेख किया गया है तथा चिकित्सक द्वारा चोट संख्या 01 व 02 को जेरे निगरानी रखना बताया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–**1.** LACERATED WOUND OF SIZE 1 CM X 0.3 CM X MUSCLE DEEP PRESENT ON OUTER ASPECT OF RIGHT LEG, 10 CM BELOW RIGHT KNEE JOINT MARGINES OF WOUND ARE INFLAMMED. **2.** TRAUMATIC SWELLING OF SIZE 4 CM X 2 CM PRESENT ON OUTER ASPECT OF RIGHT LEG 5CM ABOVE RIGHT ANKLE JOINT.

8. वादी ने अपने धारा 180 बी०एन०एस०एस० के कथनों में यह वर्णित किया है कि भूमि विवाद के कारण अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में भी जान से मारने की धमकी दी गयी थी तथा घटना के उपरान्त उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य कैमरों की रिकॉर्डिंग के आधार पर अभियुक्त अंकुर की घटना से पूर्व सहअभियुक्तों के साथ संदिग्ध गतिविधियों एवं घटनास्थल की ओर उनके साथ समन्वय स्थापित करने संबंधी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। वादी द्वारा यह भी कथित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर उक्त घटना को कारित कराने में सहभागिता की गयी। यद्यपि उक्त तथ्यों का अंतिम परीक्षण विचारण के दौरान किया जाना शेष है, तथापि वर्तमान स्तर पर उपलब्ध सामग्री अभियुक्त की प्रथमदृष्टया संलिप्तता की ओर संकेत करती है। उक्तानुसार प्रथम दृष्टया आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है, जिसमें घर पर आकर फायरिंग किए जाने तथा चार वर्षीय बालिका के चोटिल होने का आरोप है। प्रकरण में विवेचना वर्तमान में प्रचलित है तथा विवेचक द्वारा अभी साक्ष्यों का संकलन एवं अन्य आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही किया जाना शेष है। इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इससे विवेचना प्रभावित होने अथवा अभियोजन साक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए अन्य समस्त तर्क साक्ष्य का विषय हैं।

9. अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु युक्तियुक्त आधार नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अंकुर पंवार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(गरिमा सिंह–I)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 1, मुजफ्फरनगर।

दिनांक–14.07.2026